मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 27 मार्च, 2003 (चैत्र 6, 1925)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सुभाष कुमार सोजतिया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल (म.प्र) का 30 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (वर्षान्त 31 मार्च, 2001) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा-40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश की वैधानिक आडिट रिपोर्ट, वर्ष 2000-2001 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री अजय सिंह, पर्यटन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 23 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 पटल पर रखेंगे.

(4) चौधरी राकेश सिंह, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सुश्री कुसुम सिंह, सदस्य, प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को समुचित मानदेय न दिये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(2) सर्वश्री पी.सी. शर्मा, बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, इंदौर स्थित एक जापानी कंपनी द्वारा लोगों के साथ धोखाधड़ी किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री मुंशीलाल, सभापति, लोक लेखा समिति का 254 वां से 307 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री ग्यारसीलाल रावत, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का अष्टम् एवं नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सोनेराम कुशवाह, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम गुढा आसन के मजरा कांसपुरा को राजस्व ग्राम बनाये जाने;

(2) श्री धूलसिंह यादव, वकील, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम पंचायत कुरावर एवं ग्राम पंचायत लसूडल्या रामनाथ को मिलाकर नगर पंचायत बनाये जाने;

(3) श्री बृजराज सिंह, सदस्य, श्योपुर जिले के -

(क) गोरस-पारौन मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने ; तथा
(ख) श्योपुर नगर स्थित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एम.एस-सी. की कक्षाएं प्रारंभ कराये जाने ,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.